20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(129)

माननीय न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेशग्वालियरर

प्रकरण कमांक

सत्यप्रकाश उर्फ संजू पुत्र बुंदेलसिह यादव निवासी

तायडे कॉलोनी अशोकनगर – आवेदक /निगरानीकर्ता

श्री कुंवर सिंह कुशवाह अभि. को

द्वारा आज दि. 27.6.17 को

प्रस्तुत 27-6-17

क्लर्क ऑफ कोर्ट

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

वनाम

.जगरामसिंह उर्फ गजरामसिह पुत्र राजाराम यादव निवासी ग्राम विजयपुरा तह0 ईसागढ जिला अशोकनगर –अनावेदक / प्रतिनिगरानीकर्ता

III/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/1904

अधीनस्थ न्यायलय श्रीमान तहसीलदार महोदय, अशोकनगर के न्याालयीन प्रकरण कमांक 68अ6/14–15 में पारित अंतरिम आदेश पत्रिका दिनांक 14.06.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेशभू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रथम पुनरीक्षण आवेदन ।

महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता आवेदक की ओर से निगरानी आवेदनपत्र सादर निम्नप्रकार प्रस्तुत है–

1. यहकि अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, अशोकनगर का अपने न्यायालयीनप्रकरण कमांक 68अ6/14–15 में पारित अंतरिम आदेशपत्रिका दिनांक 14.06.2017 विधी विधान व राजस्व प्रकिया के विपरीत अनियमित अनुचित गैरकानूनी होने से प्रथम दृष्टया निरस्ती काविल है।

2. यहकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्ता आवेदक की ओर से दिनांक 10.08.16 को एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 35:3: मध्यप्रदेशभू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने विना अभिलेख पर लिये निराकरण किये विना सीधे प्रकरण दिनांक14.06.17 को आवेदक साक्ष्य के लिये प्रकरण नियत कर दिया जिससे निगरानीकर्ता के हितों व स्वत्वों पर विपरीत प्रभाव पडने की प्रबल संभावना उत्पन्न हुई तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की मूल भावना के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानी अधीन आलोच्य आदेश पत्रिका लिखी है जो अनियति अनुचित गैरकानूनी व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने के कारण निरस्ती काविल है ।

3. यहकि निगरानीकर्ता अधीनस्थ न्यायालय में स्वच्छ हाथों से न्याय के उददेश्य की प्राप्ती के लिये रहदावी कार्यवाही कर रहा है किंतु अधीनस्थ न्यायालय निगरानीकर्ता के हितों व स्वत्वों के विपरीत आलोच्य आज्ञा पारित की है जिससे सुनवाई के अधिकार से निगरानीकर्ता वंचित हो रहा है सर्वप्रथम वैधानिक दृष्टि से निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35:3: का सर्वप्रथम निराकरण करना था जो अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं किया है इसलिये निगरानी अधीन आलोच्य आदेश निरस्ती काविल है निगरानीकर्ता राजस्व अभिलेख में अभिलिखित भूमिस्वामी है उसकी ओर से विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरण का भी वादग्रस्त भूमि के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत दस्तावेंजो को अनदेखा करते हुये प्रकरणमें गैरकानूनी ढंग से कार्यवाही संस्थित कर रखी है इसलिये निगरानीकर्ता माननीय न्यायालय में यह निगरानी आवेदनपत्र प्रस्तुत कर रहा है निंगरानी आवेदन के साथ में निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 35:3: के आवेदन प्रस्तुती दिनांक 10.0.16 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।

4. यहकि निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी के समुचित निराकरण के लिये निगरानी अधीन प्रकरण कमांक 68अ6/14–15 न्यायालय तहसीलदार अशोकनगर का भी तलव किया जाना आवश्यक

(कुंवरसिंह कुशवाह
(अभिभाषक)

सत्यप्रकाश

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक III/निग/17/1904 जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्ष उ
19/6/18	आवेदक अधि. श्री के. के. द्विवेदी अना. अधि. श्री कुंवर सिंह कुशवाह उप.। प्रकरण अंतिम तर्क हेतु। C.F. 30/7/18 सदस्य	
16/8/18	आवेदक अभि॰ श्री॰ के॰ के॰ द्विवेदी उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश किया। 2. प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में कोई ऐसा आदेश पारित किया जिससे आवेदक के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़े। न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है अतः आवेदक एवं अना. को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। उपरोक्त परिस्थिति में यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	

[कृ. प. उ.